रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/कार्तिक 25, 1896

No 295] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1974

G.S.R. 659(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that—

(a) the right to move any court with respect to orders of detention which have already been made or which may hereafter be made under section 3(1)(c) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 as amended by Ordinance 11 of 1974, for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and clauses (4), (5), (6) and (7) of article 22 of the Constitution, and

(b) all proceedings pending in any court for the enforcement of any of the aforesaid rights with respect to orders of detention made under the said section 3(1)(c),

shall remain suspended for a period of six months from the date of issue of this Order or the period during which the Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December, 1971, is in force, whichever period expires earlier.

2. This order shall extend to the whole of the territory of India.

[No. 11/16011/14/74-S&P(D.II)]

N. K. MUKARJI, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 659(अ).—संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा उद्घोषणा करते हैं कि—

(क) 1974 के अध्यादेश 11 के अधीन संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 3(1)(ग) के अधीन नजरबन्दी के लिए जारी किए जा चुके या इसके बाद जारी किए जाने वाले आदेशों के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के खंड (4), (5), (6) और (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिए किसी न्यायालय में जाने का अधिकार, और

(ख) उपर्युक्त धारा 3(1)(ग) के अधीन नजरबन्दी के आदेशों के सम्बन्ध में उक्त अधिकारों में से किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में निर्णयाधीन सभी कार्यवाहियां,

इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः मास के लिए या उस अवधि तक निलम्बित रहेंगी, जब तक कि 3 दिसम्बर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात्कालीन स्थिति की घोषणा लागू है, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाए ।

2. यह आदेश समस्त भारत में लागू होंगे ।

[सं II/16011/14/74-एस० एंड पी० (डी० II)]

नि० मुकर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974